



पत्रांक-कु0स0-2 B स0अ0/32482 /02-887-2025 / 2025

दिनांक: 24 मार्च, 2025

सेवा में,

प्रबन्धक,
प्रस्तावित महादेव महेन्द्र लॉ कालेज,
फेसुरा, सैयदराजा,
चंदौली।

विषय: महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर विधि संकाय के अन्तर्गत एल-एल0बी0 (त्रिवर्षीय) एवं बी0ए0 एल-एल0बी0 (पंचवर्षीय) पाठ्यक्रम की अस्थायी सम्बद्धता हेतु निरीक्षण मण्डल नामित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 20.03.2025 के सन्दर्भ में सूच्य है कि महाविद्यालय को उक्त वर्णित पाठ्यक्रम/विषय की अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने हेतु महाविद्यालय में अवस्थापना सुविधाओं का स्थलीय निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या/प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए मा0 कुलपति जी द्वारा अधोलिखित विवरण के अनुसार निरीक्षण मण्डल नामित किया गया है :-

1. प्रो0 के0के0 सिंह-समाजकार्य विभाग, मा0गा0 काशी विद्यापीठ, वाराणसी। (मो0-9450592696)
2. प्रो0 डी0के0 सिंह-प्राचार्य, उदय प्रताप कालेज, वाराणसी (मो0-9412677448)
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी - सचिव। (मो0-9415662983)

निरीक्षण मण्डल द्वारा एक साथ ही एक ही तिथि में महाविद्यालय का स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा और निरीक्षण के समय निरीक्षण मण्डल के सदस्यों का महाविद्यालय भवन (प्रत्येक व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय एवं अन्य कक्षों) के साथ फोटो भी खिचवाये जाने की व्यवस्था आप द्वारा सुनिश्चित की जायेगी जिसमें अनुमोदित प्राचार्य एवं प्रवक्ताओं का भी निरीक्षण मण्डल के साथ सामूहिक फोटोग्राफी की जायेगी जिनके आधार कार्ड का भी सत्यापन निरीक्षण मण्डल द्वारा किया जायेगा। निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण फोटोग्राफ एवं विडियोग्राफी की सी0डी0 की मूल प्रति एवं सम्बंधित अभिलेखों सहित निरीक्षण आख्या विश्वविद्यालय में प्रस्तुत की जायेगी। निरीक्षण आख्या के प्रत्येक पृष्ठ एवं उसके समस्त संलग्नकों तथा महाविद्यालय के निर्मित भवन के फोटोग्राफ पर निरीक्षण मण्डल द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर तथा अण्डरटेकिंग अनिवार्य रूप से दी जायेगी।

उपर्युक्त के क्रम में शासनादेश के अनुसार निरीक्षण मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण आख्या सचिव द्वारा शासन के पोर्टल पर 10 अप्रैल, 2025 तक प्रत्येक दशा में अपने लागिन आई0डी0 के माध्यम से निरीक्षण आख्या अपलोड करते हुए विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है। सचिव द्वारा निरीक्षण आख्या अपलोड न करने की स्थिति में सम्बद्धता प्रदान किया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा।

उक्त के अतिरिक्त निम्न विन्दुओं पर निरीक्षण मण्डल को स्पष्ट आख्या देना अनिवार्य है :-

1. महाविद्यालय राजस्व अभिलेखों की मूल या छाया प्रतियों संबंधित तहसीलदार/उपजिलाधिकारी से प्रमाणित कराकर ही भेजेंगे। साथ ही मूल शपथ-पत्र फोटो सहित संलग्न किये जाने पर ही विचार किया जायेगा।
2. निरीक्षण आख्या एवं निरीक्षण प्रारूप (जो पृथक् आख्या के साथ संलग्न होता है) में यह अनिवार्यतः लिखा जायेगा कि यदि निरीक्षण आख्या में कोई त्रुटि भविष्य में प्रकाश में आयेगी तो वे दण्ड के भागी होंगे।
3. प्रस्ताव के साथ प्रश्नगत महाविद्यालय में उक्त पाठ्यक्रम में पूर्व से उपलब्ध सीटें तथा उक्त प्रस्तावित सीटों सहित महाविद्यालय में कुल कितनी सीटें उपलब्ध होंगी। इस सम्बन्ध में सुस्पष्ट सूचना उपलब्ध करायी जाय।
4. महाविद्यालय में पहुँच मार्ग एवं आवागमन के साधन की उपलब्धता के सम्बन्ध में सुस्पष्ट सूचना एवं प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाय।
5. महाविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति आदि शासनादेश संख्या-2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97, दिनांक 09 मई, 2000 एवं सहपठित शासनादेश संख्या-5699/सत्तर-2-2007-2(85)/97, दिनांक 11 जनवरी, 2008 तथा शासनादेश संख्या-2218/सत्तर-2-2011-16(409)/2010 दिनांक 23 अगस्त, 2011, शासनादेश संख्या-968/सत्तर-2-2013-18(99)/2013 दिनांक 30.05.2013 के क्रम में शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या- 226/सत्तर-2-2020-18(31)/2018 दिनांक 13 मार्च, 2020 का अनुपालन किया जा रहा है :-
(क) शुल्क की आय को बैंक खाते में रखा गया है और सम्पूर्ण आय का 75 प्रतिशत भाग शिक्षकों के वेतनादि (वेतन+ सी0पी0एफ0) पर व्यय किया गया है।
(ख) शिक्षकों के वेतन का भुगतान सीधे बैंक के माध्यम से किया जाता है
(ग) टी0डी0एस0 कटौती की सप्रमाण सूचना।
6. (क) नियुक्त शिक्षक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हता वाले हैं तथा जिन शिक्षकों का अनुमोदन कराया गया है उन्हीं से शिक्षण कार्य कराया जा रहा है। शिक्षकों का भौतिक सत्यापन विश्वविद्यालय में उपलब्ध अनुमोदन प्रपत्र पर उपलब्ध छाया चित्रों (प्रतिलिपि संलग्न) से किया जाय और उसकी एक छाया प्रति संलग्न कर इस पत्र के साथ भेजी जाय।
(ख) निर्धारित छात्र संख्या के सापेक्ष मानकानुसार विश्वविद्यालय से अनुमोदित शिक्षकों की उपलब्धता की सूचना।
7. शासनादेश संख्या-3075/सत्तर-2-2002-2(166)/2002, दिनांक 27 सितम्बर, 2002 के अनुसार भूमि के अभिलेख उपलब्ध कराया जाना है-
(क) महाविद्यालय की भूमि वर्तमान में लागू शासनादेश के मानकानुसार है।
(ख) भूमि महाविद्यालय के नाम पर है।
(ग) महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में उपरोक्त विषयों की प्राप्त अनापत्ति के गाटों की स्थिति निरीक्षण मण्डल द्वारा आपनी आख्या में उल्लेख किया जाना सुनिश्चित करें।

8. महाविद्यालय की सम्पूर्ण भूमि चहारदीवारी से घिरी हुई है तथा विश्वविद्यालय की परीक्षा इत्यादि सुविधा से करायी जा सकती है। भूमि सम्बन्धी प्रमाण पत्रों का सत्यापन सक्षम अधिकारी (जिलाधिकारी) से कराकर संलग्न किया जाय।
9. महाविद्यालय द्वारा भेजे गये टाईम-टेबल (समय सारिणी) के अनुसार पढ़ाई करायी जा रही है/करायी गयी है।
10. प्रायोगिक विषयों में पाठ्यक्रम (Syllabus) में निर्धारित संख्यानुसार प्रायोगिक कार्य पूरे कराये गये हैं प्रयोगशाला के साज-सज्जा का (Infra Structure) विवरण।
11. (क) शासनादेश सं० 2851/सत्तर-2-2003 (6)/92/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 द्वारा निर्धारित शुल्क ही छात्रों से लिया गया है और लिया जा रहा है।
(ख) छात्रों से निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जा रहा है।
(ग) महाविद्यालय को व्यावसायिक आधार पर नहीं चलाया जा रहा है।
12. (क) विगत एक वर्ष/तीन वर्षों की अवधि में महाविद्यालय के पुस्तकालय में पुस्तकों व पत्र-पत्रिकाओं में की गयी वृद्धि का सप्रमाण विवरण।
(ख) पुस्तकालय में इलेक्ट्रानिक मीडिया (Internet) की उपलब्धता तथा महाविद्यालय की वेबसाईट।
13. महाविद्यालय में दूरभाष, कम्प्यूटर, ई मेल आदि की सुविधा की उपलब्धता की सूचना।
14. महाविद्यालय में विजली/पानी की उपलब्धता का विवरण।
15. शासनादेश संख्या -1528/79-6-2008, दिनांक-21.07.2009 के अनुसार :-
(क) महाविद्यालय का भवन नेशनल बिल्डिंग कोड में प्राविधानित सुरक्षा मानकों के अनुरूप हों।
(ख) महाविद्यालय में ज्वलनशील एवं जहरीले पदार्थ न रखे जायें और यदि रखना अति आवश्यक हो तो उन्हें सुरक्षित ढंग से रखने की व्यवस्था की गयी हो।
(ग) महाविद्यालय में अग्निशमन यंत्र स्थापित हो तथा कर्मचारियों एवं शिक्षकों को अग्निशमन उपकरणों और सुरक्षा उपायों के लिए प्रशिक्षित किया गया जाय/गया हो।
(घ) महाविद्यालय के भवन की मजबूती की समीक्षा सुनिश्चित की गयी हो। इस हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड के मानकों के अनुरूप सुरक्षा प्रमाण पत्र सम्बंधित अधिकारी एवं अभियंता जाँच के उपरान्त ही प्रदान करेंगे।
16. प्राचार्य एवं शिक्षकों की मानकानुसार उपलब्धता के सम्बन्ध में स्पष्ट आख्या।

मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि निरीक्षण दल के समस्त व्यय (टी0ए0/डी0ए0) का भुगतान महाविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा। निरीक्षण मण्डल के सदस्यों से अनुरोध है कि आवेदन पत्र में उल्लिखित विवरण/विन्दुओं के अनुसार महाविद्यालय का स्थलीय निरीक्षण कर हस्ताक्षरयुक्त फोटोग्राफ सहित निरीक्षण आख्या सचिव के माध्यम से तैयार कर उ0प्र0 शासन की वेबसाईट पर अपलोड कराने के साथ हार्ड कापी विश्वविद्यालय में प्रस्तुत की जाय। निरीक्षण मण्डल द्वारा आवेदन पत्र के प्रत्येक बिन्दुओं पर स्पष्ट एवं तथ्यात्मक आख्या देना अनिवार्य है।

निरीक्षण के समय सम्बद्धता के मानकों से सम्बंधित कोई कमियाँ महाविद्यालय में पायी जाय तो उनका स्पष्ट उल्लेख निरीक्षण प्रतिवेदन में दर्शाया जाय। भविष्य में सम्बद्धता के मानकों से सम्बन्धित कोई भी कमी पाये जाने की स्थिति में महाविद्यालय के साथ ही निरीक्षण मण्डल के सभी सदस्य उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,
कुलसचिव,

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. वै०स०, कुलपति - माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. निरीक्षण सदस्य/सचिव को इस आशय के साथ प्रेषित है कि शासन द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि 10 अप्रैल, 2025 तक एक साथ महाविद्यालय का स्थलीय निरीक्षण करने का कष्ट करें।
3. निरीक्षण मण्डल सचिव को इस आशय के साथ प्रेषित है कि दिनांक 10 अप्रैल, 2025 तक महाविद्यालय का भौतिक निरीक्षण करते हुए निरीक्षण आख्या शासन के पोर्टल पर प्रत्येक दशा में दिनांक 10 अप्रैल, 2025 तक अपलोड करने का कष्ट करें। महाविद्यालय के स्थलीय निरीक्षण के समय भवन के चारों तरफ, व्याख्यान कक्षों, व्यायामशाला (इनडोर/आउटडोर), खेल के मैदान आदि स्थलों पर अपनी फोटो खिंचवा कर स्वहस्ताक्षरित फोटोग्राफ सहित उपरोक्त विवरण के अनुसार अपनी विस्तृत संस्तुति/आख्या उक्त अन्तिम तिथि तक शासन के पोर्टल पर अपलोड करने के साथ ही हार्ड कापी विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

कुलसचिव